बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक–1/छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0–32/2008– 791

प्रेषक,

मनोज कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–26-8-15

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल ₹2219.07 लाख (रूपये बाईस करोड़ उन्नीस लाख सात हजार) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–6 दिनांक–13.03.15 एवं आवंटनादेश संख्या–7 दिनांक–13.03.15 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल ₹2219.07 लाख (रूपये बाईस करोड़ उन्नीस लाख सात हजार) मात्र आवंटित किया गया था। उक्त स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश में विषयशीर्ष (कूट संख्या) अंकित नहीं रहने के कारण कतिपय कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण स्वीकृत्यादेश संख्या–6 दिनांक–13.03.15 एवं आवंटनादेश संख्या–7 दिनांक–13.03.15 को रद्द करते हुए पुनः स्वीकृत्यादेश संख्या–9 दिनांक–23.03.15 एवं आवंटनादेश संख्या–10 दिनांक–23.03.15 द्वारा ₹2219.07 लाख (रूपये बाईस करोड़ उन्नीस लाख सात हजार) आवंटित की गयी है। CTMIS डाटा के आधार पर प्रतिवेदित है कि स्वीकृत्यादेश संख्या–6 दिनांक–13.03.15 एवं आवंटनादेश संख्या–7 दिनांक–13.03.15 के आलोक में राशि की निकासी की गयी है।

अतः निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश संख्या–6 दिनांक–13.03.15 एवं आवंटनादेश संख्या–7 दिनांक–13.03.15 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या–9 दिनांक–23.03.15 एवं आवंटनादेश संख्या–10 दिनांक–23.03.15 में वर्णित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में दोबारा ना हो, इसे ध्यान में रखा जाय।

विश्वासभाजन,

26/8/15

(मनोज कुमार)
सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
पत्रांक–1/छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0–32/2008–

प्रेषक,

मनोज कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल ₹2219.07 लाख (रूपये बाईस करोड़ उन्नीस लाख सात हजार) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–6 दिनांक–13.03.15 एवं आवंटनादेश संख्या–7 दिनांक–13.03.15 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल ₹2219.07 लाख (रूपये बाईस करोड़ उन्नीस लाख सात हजार) मात्र आवंटित किया गया था। उक्त स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश में विषयशीर्ष (कूट संख्या) अंकित नहीं रहने के कारण कतिपय कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण स्वीकृत्यादेश संख्या–6 दिनांक–13.03.15 एवं आवंटनादेश संख्या–7 दिनांक–13.03.15 को रद्द करते हुए पुनः स्वीकृत्यादेश संख्या–9 दिनांक–23.03.15 एवं आवंटनादेश संख्या–10 दिनांक–23.03.15 द्वारा ₹2219.07 लाख (रूपये बाईस करोड़ उन्नीस लाख सात हजार) आवंटित की गयी है। CTMIS डाटा के आधार पर प्रतिवेदित है कि स्वीकृत्यादेश संख्या–6 दिनांक–13.03.15 एवं आवंटनादेश संख्या–7 दिनांक–13.03.15 के आलोक में राशि की निकासी की गयी है।

अतः निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश संख्या–6 दिनांक–13.03.15 एवं आवंटनादेश संख्या–7 दिनांक–13.03.15 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या–9 दिनांक–23.03.15 एवं आवंटनादेश संख्या–10 दिनांक–23.03.15 में वर्णित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में दोबारा ना हो, इसे ध्यान में रखा जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(मनोज कुमार),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–1/छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0–32/2008–791 पटना, दिनांक–26-3-15

प्रतिलिपि– विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/3/15
सरकार के उप सचिव।

Letter of Depy. Secy.(Harry)